राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2) विभाग

क्रमांकः प.7 (2) कार्मिक / क–2/81 पार्ट जयपुर, दिनांक 13.01.2016

1. समस्त अति0 मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव

2. समस्त विभागाध्यक्ष (संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर्स) सहित

परिपत्र

विषयः– राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती की प्रकिया में आरक्षित सूची का प्रवर्तन।

कार्मिक विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 19.07.2001 में सीधी भर्ती की प्रकिया में आरक्षित सूची के प्रवर्तन के संबंध में प्रावधान इस प्रकार हैं :–

"Provided that the commission may to the extent of 50% of the advertised vacancies, keep names of suitable candidates on the reserve list. The names of such candidates may on requisition, be recommonded in the order of merit to Govt within six months from the date on which the original list is forwarded by the commission to Govt."

राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया है कि आयोग द्वारा चयनित अभ्यर्थियों की मूल सूची एक ही बार में पूर्ण रूप–से भेजा जाना व्यावहारिक रूप–से संभव नहीं हो पाता है। अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों की पात्रता जांच एवं शैक्षणिक योग्यताओं, सत्यापन आदि में, अनेक मामलों में न चाहते हुए भी, काफी समय लग जाता है। कुछ प्रकरणों में होने वाले विलंब के लिए समस्त अभ्यर्थियों की सूची को रोके रखना भी उचित नहीं होता है। ऐसी स्थिति में मुख्य चयन सूची (अभिस्तावना) एक बार में न भेजी जाकर एकाधिक टुकड़ों में प्रेषित की जाती है। जिससे यह दुविधा उत्पन्न हो जाती है कि ऊपर दर्शाए गए प्रावधानानुसार प्रतीक्षा सूची की प्रवर्तनीयता के 6 माह की अवधि की गणना किस अभिस्तावना तिथि से की जावे।

इस क्रम में आयोग से प्राप्त प्रस्ताव एवं राज्य एवं देश की उच्च अदालतों से प्राप्त निर्णयों का अनुशीलन कर, राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि परिपत्र दिनांक 19.07.2001 में मूल अभिस्तावना तिथि से 6 माह की गणना का जो प्रावधान है, उस अवधि की गणना आयोग अथवा अन्य एजेंसी द्वारा प्रेषित की जाने वाली (मूल) अभिस्तावना सूची के अंतिम भाग को प्रेषित करने की दिनांक से की जावेगी।

यह स्थिति उन प्रकरणों पर भी लागू होगी, जहां किन्हीं कारणों से आयोग अथवा अन्य एजेंसी द्वारा संशोधित परिणाम/पुनः परिणाम जारी किया जाता है, बशर्ते ऐसे संशोधित परिणाम/पुनः परिणाम से पूर्व भर्ती की संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण न हुई हो, तथा नियुक्त अभ्यर्थियों के उपस्थिति न देने से प्राप्त रिक्तियों को आगामी भर्ती की अर्थना में सम्मिलित न कर लिया गया हो। अभिस्तावना भेजते समय भर्तीकर्त्ता आयोग अथवा अन्य एजेंसी को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उसके द्वारा भेजी जाने वाली अंतिम (मूल) अभिस्तावना में इस आशय की सूचना भी अंकित की जावे।

सभी नियुक्ति प्राधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे वर्तमान में विचाराधीन प्रकरणों सहित भविष्य में इन निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। किन्तु, जिन मामलों में प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, उन्हें पुनः नहीं खोला जाएगा।

(आलोक गुप्ता)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख सचिव, राज्यपाल, राजस्थान।
2. सचिव, मान0 मुख्यमंत्री राजस्थान।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव / निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिवगण।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. सचिव, राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, जयपुर।
6. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली।

(ओ0 पी0 गुप्ता)
संयुक्त शासन सचिव

3/2016